IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अविकसित कृषि के संदर्भ एवं आयामः डा0 अम्बेडकर के विचार

Rashmi Gupta

Assistant Professor

S N Sen B.V.P.G

प्राचीनकाल से लेकर अब तक भारत में कृशि एक प्रमुख व्यवसाय है और रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृशि ही एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन है लेकिन कृशि व कृशक की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हालात में सुधार नहीं हुआ है और आज भी हजारों किसान ऋणग्रस्तता या फसल नुकसान से त्रस्त होकर आत्महत्या करने को विवश है।

डा0 अम्बेडकर ने कृशि और कृशि से संबंधित समस्याओं पर गम्भीर चिंतन कर सन् 1918 में 'Smallholdings in India and their remedies' नामक पुस्तक लिखी जिसमें कृशि क्षेत्र की समस्याओं एवं समाधान पर व्यापक रुप से विचार किया। ग्रामीण क्षेत्र में कृशि योग्य भूमि का वितरण दोशपूर्ण है। इसमें एक ओर जहॉ कुछ लोगों के पास प्रचुरता में कृशि भूमि हाती है तो वहीं गॉव के अधिकांश लोगों के पास कृशि भूमि नहीं होती वे भूमिहीन श्रमिकों की श्रणी में आते है। इसलिये सर्वप्रथम कृशि योग्य भूमि का उचित वितरण आवश्यक है। डा0 अम्बेदकर के कृशि संबंधी विचार इस प्रकार है –

1. कृशि राज्य उद्योग होगा।
2. कृशि उद्योग निम्नलिखित आधार पर संगठित किया जायेगा।

I. राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मो में विभाजित करेगा और उन्हे गॉव के निवासियों को पट्टेदारों के रुप में (कुटुम्बों के समूह से निर्मित) आगे दी गई भार्तो पर खेती करने के लिये देगा।

क. फार्म पर खेतीबारी, सामूहिक फार्म के रुप में की जायेगी।

ख. फार्म पर खेतीबारी सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों व निर्देशो के अनुसार की जायेगी।

ग. पट्टेदार फार्म पर उचित रुप से उगाहो करने योग्य प्रभार अदा करने के बाद फार्म की भोश उपज को आपस में विहित रीति से बांटेगें।

ii. भूमि गॉव के लोगों को जाति या पंथ के भेदभाव के बिना पट्टे पर दी जायेगी और ऐसी रीति से पट्टे पर दी जायेगी कि कोई जमींदार न रहें, कोई पट्टेदार न रहें और न कोई भूमिहीन मजदूर रहें।

iii. राज्य पानी, जोतने–बोने के लिये पशु उपकरण, खाद, बीज आदि देकर सामूहिक फार्म की खेती के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

iV. राज्य समर्थ होगा –

क. फार्म की उपज पर निम्नलिखित प्रभार लेने के लिये...

i. भू–राजस्व का एक अंश।

ii. ऋणपत्र–धारकों को अदा करने के लिये एक अंश।

iii. प्रदत्त पूंजीगत माल के उपयोग क लिये अदा करने के लिये एक अंश।

ख. उन पट्टेदारों के विरुद्व जुर्माना विहित करने के लिये हकदार होगा, जो पट्टेदारी की भार्तो को तोड़े अथवा राज्य द्वारा प्रदत्त खेतीबारी के साधनों को सर्वोत्तम उपयोग करने में जानबूझ कर उपेक्षा करें या अन्यथा सामूहिक खेती को स्कीम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ढंग से कार्य करें।

डा0 अम्बेंदकर ग्रामीण क्षेत्र में कृशि योग्य भूमि के विभाजन मे चलते छोटे होती जोतों से चितित थे। छोटी जोंते निम्न उत्पादकता के लिये जिम्मेदार थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति यदि दी जा सकती थी तो उसकी विधि थी सहकारी कृशि और इसके लिये चकबंदी को योजना को क्रियान्वित किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त अन्य समस्यायें जैसे किसानों से लिया जाने वाला लगान, उद्योग के रुप में खेती पर जोर, कृशि तकनीक में परंपरागत तकनीक, कृशि में आवश्यक पूंजी व श्रम का निवेश, बॉधों व नहरों की उपलब्धता आदि के संदर्भ में डा0 अम्बेदकर ने गहन चिंतन कर समाधान प्रस्तुत किया। सरकार तथा साहूकार के कारण ऋणग्रस्त किसान ब्याज के दुश्चक्र में फंसकर भूमिहीन होने को मजबूर है। डा0 अम्बेदकर ने 'किसानों के प्रश्न' नामक भीर्शक से लेख लिखा।

18 अगस्त, 1925 को प्रकाशित इस लेख में कृशि उत्पादन की केवल कल्पना कर उस कल्पना के आधार पर लगान तय करना गलत और अन्याय मूलक है, ऐसा उन्होने कहा, ''खर्च घटा देने के बाद जो बच जाता है वह आय, ऐसा स्थ्ल रुप से सोचा भी जाये तो खर्च और आय इनका औसत सब ओर समान दिखलाई नहीं देता। कभी–कभी समान रुप में उत्पादन लेने हेतु असमान मात्रा में खर्च करना

पड़ता है। ऐसा जब अवसर आयेगा तब साधारणतया एक ही खर्च का ऑकड़ा स्वीकार कर आय निश्चित करना गलत होगा।

डा0 अम्बेदकर ने कर वसूली के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये –

1. कृशि विशयक कर खेती की आय पर नि"चत करते हुये किसान की आर्थिक ताकत पर नि"चत किया जा सकता है।
2. कर की बढ़ती हुई पद्वति लागू हो जाने से गरीब तथा अमीर किसानों पर जो अन्याय होता है, वह टल जायेगा।
3. न्यूनतम आर्थिक भाक्ति की सीमा के भीतर जीने वाले किसानों की मुक्ति कर के बोझ से हो जायेगी।
4. जमीन के महसूस की बात वसूली की दृश्टि से जमाबंध न रहते हुये उसकी जमा पद्वति में एक प्रकार का लचीलापन आ जायेगा।

डा0 अम्बेदकर जानते थे कि चकबन्दी को लागू करने से विभिन्न व्यवहारिक समस्यायें सामने आयेगी। चकबंदी से खेती का उपविभाजन और विखण्डन तो रुक जाता है लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिये बेरोजगार कृशि श्रमिकों को गैर–कृशि कार्यो में लगाये जाने की जरुरत है इसके परिणामस्वरुप दोहरा फायदा होगा पहला यह कि कृशि पर दबाब कम होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, गैर कृशि आय में बढोत्तरी होने से कृशकों की आय बढेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सशक्तता आयेगी।

''संक्षेप में चाहे यह विचित्र लगे भारत की कृशि संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये सबसे जोरदार उपाय उसका औद्योगीकरण है।''

चकबंदी से पहले औद्योगीकरण होना चाहिये। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि जब तक चकबंदी वाले जोतों के भावी उप विभाजन और विखण्ड़न पर रोक लगाने के लिये प्रभावकारी रुकावटें नहीं लगायेंगे तब तक चकबंदी की योजनायें बनाना बेकार है। यह रोक केवल औद्योगीकरण से लगाई जा सकती है और भूमि पर यह दबाब कम हो सकता है। इसलिये यदि हमारी कृशि छोटी और बिखरी हुई जोतों की "ाकार है तो उसका हल निःसन्देह औद्योगीकरण करके ही निकल सकता है।

उपर्युक्त विचारों के विवेचन से निश्कर्श निकलता है कि डा0 अम्बेदकर कृशि क्षेत्र की समस्याओं के व्यावहारिक समाधन के लिये चकबंदी और औद्योगीकरण की प्रक्रिया को साथ–साथ सम्पन्न करना चाहते थे ताकि समस्याओं के निराकरण के क्रम में यदि चकबंदी पद्वति से जो समस्या उत्पन्न हो, उसे औद्योगीकरण के माध्यम से सुलझा लिया जाये।

आज भी भारत में कृशि बदहाल स्थिति में है वो इसका एकमात्र कारण है कि कृशि की समस्याओं के समाधान के लिये मौलिक प्रयास ही नहीं किये गयें। कृशि को यदि आधारभूत उत्पादन क्षेत्र स्वोकार कर बड़े स्तर पर पूँजी निवेश किया जाता तो संसाधन भी वृहद स्तर के छोटे व उत्पादन भी वृद्वि को रेखांकित करता तथा कृशक भी समृद्व बन सकते।

आज हम किसानों की कर्ज माफी की रट लगा रहे है मगर डा0 अम्बेदकर की नजर में यह एक छोटा सा घटक है, दूसरी चीजें कहीं ज्यादा जरुरी है। उन्हाने जोर देकर कहा कि अगर हम संजीदा हो तो छोटा रकबा भी फायदेमंद बन सकता है। उन्होने उपायों में कर्ज का जिक्र तो किया ही, खेती किसानी को आधुनिक बनाने और किसानों को इसके लिये प्रशिक्षित करने की बात की।.....

उनका कहना था कि हमारा अंतिम उददेश्य होना चाहिये, किसानों की क्षमता बढ़ाना। उनकी नजर में किसान कभी भी पंजीपति नहीं हो सकता। वह एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी फसल उपजाता है और चूँकि उसके पास पर्याप्त पूँजी नहीं होती, इसलिये एक फसल को बेचकर, दूसरी फसल की तैयारी करता है। ऐसे में, यदि किसानों ने एक साल अच्छी कमाई भी कर ली तो अगले साल सूखा पड़ने की स्थिति में उनकी दशा फिर से वही हो जायेगी। लिहाजा जरुरी यह है कि सरकार अपनी उचित भूमिका निभाते हुये किसानों के लिये ऐसी स्थिति बनाये कि वे उचित दाम पर अपनी फसल बेंच सके। साथ–साथ किसानों को बिचौलिये से बचानें की बात भी कही।

डा0 अम्बेदकर ने सौ साल पहले किसानों और किसानों की समस्याओं के बारे में जो विचार व्यक्त किये, वह आज भी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल मेल खाते है। एक अर्थशास्त्री के रुप में उनकी महन्ता असंदिग्ध है।

सन्दर्भ :–

1. बाबा साहेब अम्बेदकर, सम्पूर्ण वांग्मय, खण्ड़–2, पृ0 180
2. बाबा साहेब डा0 आम्बेडकर : लेखन आणि भाशणे, खण्ड 18, पृ0 277
3. बाबा साहेब डा0 आम्बडकर : लेखन आणि भाशणे, खण्ड 19, पृ0 59
4. डा0 बाबा साहेब आम्बेडकर, वक्तव्य और लेख, खण्ड 1, पृ0 477,478–499
5. अंबेडकर, प्रकाश, किसानों के भी हमदर्द थे अंबेडकर, 14 अप्रैल, 2017 पृ0 16